

2. लेखधारिणी :- श्रीमति फिरमिला लकड़ा पति श्री विभव
मिंज, जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम-धोलकोबेड़ा,
थाना- तिमडेगा, जिला- तसमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 9738 5668 7448

पैन नं० ए.एम.डी. पी.एल. 964। एफ

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

व्यव-पत्र संख्या :- 308 / 2018

3. लेखप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

4. मूल्य :- मोबलियन सात लाख सात हजार रुपये अंके 7,07,000/-
रुपये होता है ।

5. सम्पत्ति :- एरा जियात जन्दर मौजा- सुलडेगा ठोंगरी टोली,
कार्ड नं० 4, थाना- तिमडेगा, थाना नं० 117, सदर रीजस्ट्री
आफिस वों जिला- तसमडेगा के थाना नं० 45 प्लॉट नं०
नं० 1647 खोलह सो तैता लत, रकबा 0.10 एकड़ द्वारा जिसमिल
आवासोपे जमान, जिसपर किसी प्रकार का नकान या तनमणि
नहीं है ।

जिसका चौड्डी :-

उत्तर :- इसी प्लॉट का ओर,

दक्षिण :- पी.सी.सी. सड़क 10 फीट का,

पूरब :- पी.सी.सी. सड़क 10 फीट का,

पश्चिम :- प्लॉट नं० 1644 पत्थर ठोंगरी ।

नामजुदारी 1.00 रुपया रुक रुपया खोये नैन चलाना ।

में जो भा करता हूँ कि इसी लिखित पत्र को पूर्ण में

नहीं है ।

प्रति
7/8/2018

११५. चूंकि मुझ लेख्यकारी का मकान बनाना एवं कर्ज चुकाने हेतु रपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमाने वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारणी से मेरा जमान करवाने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने करीबना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

११६. इसीलिए मैंने अपना इच्छा से करार वो नन की स्वस्थता में रहकर उपर डाना संख्या पांच में वर्णित जमान को उक्त लेख्यधारणी के हाथ मुक्त जमानत चुकता पाकर देवा और देवा गई जमान का कुल एक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारणी को उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से देवा गई जमान पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न जाहन्दा रहेगा ।

११७. मैं प्रार्थना करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमान में उरीदगी है जिसे मैंने निबंधित केवली संख्या 59 दिनांक 19-1-2011 के द्वारा हासिल किया हूँ जिसकी एक नं० 1, भोल्युम नं० 2, पेज नं० 465 से 482 तक है । बाद उरीदगी के उक्त जमान का दाखिल खारिज होकर जिसका बाद संख्या 540 आर 27/10-11 है माननुभार रसाद मेरे नाम से कहता है वो पंजी 11 के भोल्युम संख्या 6 पेज नं० 284 में दर्ज है । उक्त जमान पर मेरा अनिर्दिष्ट हक दखल वो बज्जा है और किसी प्रकार का बाद या जगड़ा झंझट नहीं है । खतियान के अनुसार उक्त जमान चाकसी है तथा लगान पानेवाले का नाम मैनेजर चकम्बर्ड स्टेड मान जाजय टिकैत मानवास हुकुम सिंह देव दर्ज है । एवं खतियानी रैयत का नाम दानिश मुण्डा वगैरह है ।

प्रति-रसाद
करीबना
9/18/16

4. चूंकि हम उभय पक्ष जादिवालों समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं
अतः जमान खरोद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाह्विता
भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कानूनकारी
अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिनांक 11/11/2017 जिसका वाद
संख्या 127/2017-18 है जिसको स्वीकृति दिनांक 18-7-2018 को
प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 753/11 दिनांक 18-7-2018 है।

5. अब चाहिए कि लेख्यकारिणी अपनी जमान पर जादिव वी
दखलदार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे
वै आरखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय
से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय
मालगुजारी के रसौद खास नाम से हासिल किया करें।

6. इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामा सदा दिन के
तिलर लिख दिया कि प्रमाण रहे की वकील जमान पर काम जावे।

उक्त बिक्री को जानेवाला जमान मू-हवंधा, कैसरे गहन्द,
खासमहल, तैरात, लाज, मू-दान, बंदोवस्ता, वैर मजसुआ के
तहत नहीं है।

श्रीमान् श्रीकेदार
9/8/2018

मैं लेखकारों यह घोषणा करता हूँ कि विकीत जमीन को बचत जमीन सिविलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अनुप कुमार टोपो
9/8/2018




प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारों श्रीमती किरमिला लकड़ा ने अपने बाएँ हाथ की पांचों अंगुलियों का निशान चढ़े खपड़ा दिया ।

Anup Kumar Toppo
Advocate
09/8/2018

अनुप कुमार टोपो
9/8/2018

मैं लेखकारों यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में भारत जमीन को खपड़ियों के साथ कुल भारत जमीन सिविलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

किरमिला लकड़ा
9/8/2018



प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारों श्रीमती किरमिला लकड़ा ने अपने बाएँ हाथ की पांचों अंगुलियों का निशान चढ़े खपड़ा दिया ।

Anup Kumar Toppo
Advocate
09/8/2018

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वी समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Anup Kumar Toppo
Advocate

प्रतिपक्षता
तारीख:- 09/8/2018

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्डन रहित वी नक्सा सहित है ।

टंकक

मीरमकसुफ
9.8.2018

मौ० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

संलग्नक:-

1. विक्रेता, क्रेता एवं पहचानकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. केवाला पट्टा, मुद्रि पत्र एवं मालगुजारी रसोद का छायाप्रति,
3. खतियान का छायाप्रति,
4. गेयुल का मूल प्रति,
5. आवेग एवं अंजल रिपोर्ट का सचवी प्रमाणित प्रतिलिपि,
6. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति एवं सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,
8. क्रेता का शपथ-पत्र
9. होल्डिंग टैक्स का छायाप्रति,
10. चैन कार्ड का दस्तावेज

जोहरा केरकेरी
9/8/2018